भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehrdun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी / 04 / 121 / 2013 / एफ.सी. / 129

दिनॉक 22 / 04 / 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड,
देहरादून।

विषयः जनपद–हरिद्वार के अन्तर्गत रूड़की–सहारनपुर 400 के0वी0 द्विपरिपथ विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.1380 हे0 वन भूमि का पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 2564 / 1जी–3831 (हरिद्वार) दिनांक 01.04.2014 एवं 2853 / 1जी–3831 (हरिद्वार) दिनांक 08.04.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 262 / 1जी–3831 (हरिद्वार), दिनॉक 30.07.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण मे इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–14.08.2013 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे उल्लिखित शर्तो की अनुपालना आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद– हरिद्वार के अन्तर्गत रूड़की–सहारनपुर 400 के0वी0 द्विपरिपथ विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.1380 हे0 वन भूमि का पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 1130 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमाकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधो (मुख्यतः औषधीय पौधे) के यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।
5. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरो / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एव स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

8. कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 113 से अधिक न हो।

9. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

11. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जावेगा।

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।

13. इस स्वीकृति में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा सन्तोषजनक अनुपालन नही होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(एम0एस0नेगी)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0नेगी)
उप वन संरक्षक